

1.	विभाग	पशुपालन
2.	योजना का नाम –	बधियाकरण कार्यक्रम
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	अवर्णित नस्ल के नर पशुओं का बधियाकरण कर नस्ल सुधार में योगदान करना एवं आवारा नर पशुओं का बधियाकरण कर नस्ल सुधार में योगदान करना। बधियाकरण के उपरांत नर पशुओं को खेती करने योग्य बनाना।
4.	पात्रता की अर्हता–	समस्त पशुपालक
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	समस्त पशुपालक अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय पर सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
6.	लिंक वेबसाइट	http://animalhusb.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक पशुपालन, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।